<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र

द्वितीय अपील क्रमांक 1/2006

मेसर्स वसुधा उद्योग

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत</u>

28/9/2010

सही /

प्रशांत कुमार मिश्र

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा

द्वितीय अपील क्रमांक 1/2006

अपीलकर्ता **मेसर्स वसुधा उद्योग**

बनाम

प्रत्यर्थी **छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड**

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थित : श्री अनूप मजूमदार अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से।

श्री संजय एस अग्रवाल आधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से।

सिवील प्रकिया संहिता की धारा 100 के अंतर्गत द्वितीय अपील

निर्णय

(28 सितंबर 2010 को पारित)

वर्तमान द्वितीय अपील वादी द्वारा दायर की गई है, जिसकी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद को अधिनस्त न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

2. वादी का मामला यह था कि 2.41 एकड़ भूमि, जो औद्योगिक क्षेत्र भानपुरी, रायपुर स्थित प्लॉट क्रमांक 5 है, का पट्टा वादी के पक्ष में 99 वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 03-01-1975 को प्रदान एवं पंजीकृत किया गया था तथा उस भूमि का आधिपत्य भी वादी को दे दिया गया था। वादी ने “वसुधा उद्योग” नाम से एक उद्योग स्थापित किया तथा पट्टे की गई भूमि के एक भाग पर निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया । वादी फरशी-पत्थर, मार्बल-स्लैब, टाइल्स तथा अन्य सजावटी स्टोन-स्लैब के व्यवसाय में संलग्न है। प्रत्यर्थी ने 05-04-1998 को एक नोटिस जारी किया, जिसमें पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जबकि वादी का कहना है कि उसने पट्टे की किसी भी शर्त का कभी उल्लंघन नहीं किया है। वादी के स्वामी ने अन्य व्यक्तियों को पानी प्रदान किया था, जो अवैध है तथा पट्टा-शर्तों का उल्लंघन भी है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

5. विचारण न्यायालय ने मुख्य मुद्दा क्रमांक 1, जो पट्टा-निरस्तीकरण की वैधता से संबंधित था, वादी के विरुद्ध तथा प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णयित किया और यह माना कि वादी द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के कारण पट्टा-विलेख का निरस्तीकरण विधिसंगत है। अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए इस निष्कर्ष की पुष्टि की तथा वादी/अपीलकर्ता द्वारा दायर प्रथम अपील को आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री द्वारा निरस्त कर दिया।

6. वर्तमान द्वितीय अपील को निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया है :

" (1) क्या पट्टा-विलेख की धारा 16 के अंतर्गत आवश्यक छह माह की अवधि में उल्लंघन को दूर करने हेतु नोटिस न दिए जाने के कारण किया गया पट्टा- निरस्तीकरण अवैध है?

(2) क्या प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया पट्टा-निरस्तीकरण अधिकार–क्षेत्र के अभाव में किया गया है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. विधिक प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में, अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि पट्टे का निरस्तीकरण अवैध है—पहला, इसलिए कि वादी ने पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, और दूसरा, इसलिए कि पट्टा-विलेख की धारा 16 के अंतर्गत आवश्यक छह माह का नोटिस प्रदान नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में प्रतिवादी को बलपूर्वक आधिपत्य लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विधिक प्रश्न क्रमांक 1 की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय ने यह स्वीकार किया है कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, तथा पट्टा-विलेख की धारा 16 के

अनुसार केवल उल्लंघन के विषय में लिखित सूचना देना आवश्यक है, न कि छह माह का पृथक नोटिस। उन्होंने आगे कहा कि एक बार पट्टाधारी को सूचना दिए जाने के पश्चात् उल्लंघन दूर करने हेतु छह माह का समय प्रदान कर दिया गया था, अतः धारा 16 की शर्त पूर्णतः पालन में आ गई है।

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि पक्षकारों के अधिकार एवं दायित्व पट्टा-विलेख में ही समाहित हैं तथा वास्तव में पट्टे की निरस्तीकरण की पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पट्टे की शर्तों के अनुसार उल्लंघन होने पर निरस्तीकरण स्वयमेव प्रभावी हो जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान आक्षेपित डिक्री के परिच्छेद क्रमांक 19 की ओर आकर्षित करते हुए यह भी कहा कि पट्टाधारी के विरुद्ध अभी भी बकाया राशि शेष है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी ने पट्टा-विलेख की धाराएँ 6 तथा 7 का भी उल्लंघन किया है।

9. प्रदर्श पी–1 दिनांक 03-01-1975 का पंजीकृत पट्टा-विलेख है। पट्टा-विलेख की धाराएँ 2, 4, 5, 6, 7 तथा 16 इस प्रकार हैं

"2. पट्टाधारी इस पट्टा-विलेख के निष्पादन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उक्त भूमि के लिए पट्टादाता को 964 रुपये (केवल नौ सौ चौंसठ रुपये) प्रीमियम के रूप में अदा करेगा। पट्टे की अवधि के दौरान, पट्टाधारी प्रति वर्ष 96

रुपये 40 पैसे (केवल छियानवे रुपये चालीस पैसे) वार्षिक भूमी किराया भी पट्टादाता को देगा तथा धारा 3 के अनुसार निर्धारित कोई भी अन्य देय राशि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के 10वीं तिथि तक अदा करेगा

4. पट्टाधारी, पट्टे की अवधि के दौरान, उक्त भूमि पर वर्तमान में अथवा भविष्य में लगाए जाने वाले सभी प्रकार के कर, दरें, मूल्यांकन तथा अन्य समस्त देयों का भुगतान करेगा तथा उन्हें नियमित रूप से निर्वहन करेगा।"

5. पट्टाधारी इस द्वारा यह सहमति प्रकट करता है कि वह इस पट्टा-विलेख के निष्पादन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(i) उक्त भूमि पर अपने स्वयं के व्यय से मार्बल स्लैब, टाइल्स, चिप्स, सजावटी पत्थर की स्लैब तथा संबद्ध उत्पादों के निर्माण हेतु एक कारखाना तथा उक्त व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक अन्य सभी भवन एवं संरचनाएँ निर्माण एवं स्थापित करेगा; और

(ii) मार्बल स्लैब, टाइल्स, चिप्स, सजावटी पत्थर की स्लैब तथा अन्य संबद्ध उत्पादों का उत्पादन कुशलता एवं कार्यकुशल पद्धति से प्रारम्भ करेगा।

6. पट्टाधारी समय-समय पर प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में उनके नक्शे तथा विनिर्देश (स् पट्टादाता या उसके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी अधिकारी को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगा, तथा निर्माण कार्य पट्टादाता द्वारा स्वीकृत नक्शे एवं विनिर्देशों के अनुरूप ही किया जाएगा।

7. पट्टाधारी उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, संरचनाओं और कार्यों का उपयोग केवल मार्बल स्लैब, टाइल्स, चिप्स, सजावटी पत्थर की स्लैब के निर्माण तथा कार्यालय, प्रशासनिक भवन और गोदामों के निर्माण के लिए ही करेगा। पट्टाधारी उक्त भूमि या उसके किसी भी भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा, जब तक कि इस संबंध में पट्टादाता से पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त न कर

16. यदि इस पट्टा-विलेख के अनुसार देय भू-भाड़ा या उसका कोई भाग, देय तिथि से अगले 6 कैलेंडर माह तक बकाया तथा अप्रदत्त रहता है—चाहे उसका विधिवत माँग किया गया हो या न किया गया हो—या पट्टाधारी द्वारा इस पट्टा-विलेख में निहित किसी भी शर्त अथवा वचन का उल्लंघन किया जाता है, तथा पट्टादाता द्वारा दी गई लिखित सूचना के 6 माह के भीतर पट्टाधारी उस उल्लंघन को दूर करने में विफल रहता है, अथवा पट्टाधारी दिवालिया हो जाता है या अपने देनदारों के साथ किसी समझौते में प्रवेश करता है, तो ऐसी स्थिति में यह पट्टा समाप्त माना जाएगा। और पट्टादाता, किसी भी पूर्व कारण या पुनः प्रवेश के अधिकार के त्याग के बावजूद, तथा पट्टे के अंतर्गत शेष बकाया भू-भाड़े की वसूली के अपने किसी भी अधिकार को बिना प्रभावित किए, उक्त भूमि में प्रवेश कर उसे पुनः अपने कब्जे में ले सकता है, मानो यह पट्टा कभी किया ही न गया हो।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10.प्रदर्श पी–2 दिनांक 05-04-1998 की वह सूचना (नोटिस) है, जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी ने वादी को यह बताया कि ट्यूबवेल/बोर खनन करके पट्टा-विलेख की धारा 6(डी) का उल्लंघन किया गया है, तथा 31,800 वर्गफुट क्षेत्र में निर्माण न करने के कारण वादी ने पट्टा-विलेख की धाराएँ 6 और 7 का उल्लंघन किया है, क्योंकि केवल 7,904 वर्गफुट क्षेत्र में ही निर्माण किया गया है। सूचना में आगे यह भी उल्लेख किया गया कि पट्टा-विलेख की धाराएँ 2 और 4 के अनुसार वादी को प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह की 10 तारीख तक अग्रिम रूप से पट्टा-भू-भाड़ा, अनुरक्षण शुल्क तथा सड़क प्रकाश शुल्क जमा करना था, जिसका पालन नहीं किया गया है और इस प्रकार पट्टे की शर्तों का उल्लंघन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूचना में यह भी दर्ज किया गया कि अप्रैल 1985 से मार्च 1999 की अवधि के लिए पट्टाधारी पर 11,311/- रुपये बकाया हैं तथा सूचना की तिथि से पूर्व छह माह से अधिक अवधि तक औद्योगिक इकाई बंद पड़ी है, जबकि पट्टा-विलेख की धारा 5 में यह अपेक्षित है कि इकाई निरंतर उत्पादन में रहे। अतः इस शर्त का भी उल्लंघन किया गया है।

प्रदर्श पी–3 वादी द्वारा प्रत्यर्थी को भेजा गया प्रत्युत्तर दिनांक 05-06-1998 है।

इस प्रत्युत्तर में वादी ने कहा कि पट्टा-विलेख में 6(डी) नामक कोई शर्त ही नहीं है, इसलिए उसके उल्लंघन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। प्रत्युत्तर में यह भी कहा

गया कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण संपूर्ण क्षेत्र में निर्माण नहीं किया जा सका, परंतु वादी नियमित रूप से पट्टा-भू-भाड़ा जमा करता रहा है।

वादकारी ने यह भी उल्लेख किया कि पट्टा-विलेख की धाराएँ 2 और 4 में अनुरक्षण शुल्क जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः वह इस प्रकार का भुगतान करने हेतु बाध्य नहीं है।

धारा 5 के संबंध में वादी ने कहा कि इकाई पूर्व में क्रियाशील थी और धारा 5 में यह कहीं नहीं कहा गया है कि यदि आगे चलकर इकाई कुछ समय के लिए बंद हो जाए तो उसे शर्त का उल्लंघन माना जाएगा। अतः धारा 5 के उल्लंघन को भी स्वीकार नहीं किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. प्रदर्श पी-4 दिनांक 15-07-1998 / 16-07-1998 का वह आदेश है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादी पर 11,311/- रुपये की बकाया राशि है, तथा पट्टा-विलेख में अपेक्षित अनुसार निर्माण कार्य भी नहीं किया गया है, और औद्योगिक इकाई छह माह से अधिक की निरंतर अवधि तक उत्पादन में भी नहीं रही है।

अतः उक्त आधारों पर यह माना गया कि वादी ने पट्टा-विलेख की धाराएँ 2, 4, 5(1), 6 तथा 7 का उल्लंघन किया है, और परिणामस्वरूप पट्टा निरस्त कर दिया गया।

12. दोनों अधीनस्थ न्यायलयाओं ने यह पाया है कि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। यह निष्कर्ष वस्तुस्थिति पर आधारित एक शुद्ध तथ्यात्मक निष्कर्ष है। विधिक प्रश्न क्रमांक 1 इस अर्थ में नहीं है कि वादी द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किए जाने संबंधी निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है या नहीं।अतएव, विधिक प्रश्न क्रमांक 1 का निर्माण करते समय इस न्यायालय ने उक्त तथ्यात्मक निष्कर्ष को अंतिम एवं निर्णायक माना है; तथापि, विधिक प्रश्न का वास्तविक विषय यह है कि क्या पट्टा-विलेख की धारा 16 के अनुसार छह माह के लिखित नोटिस की अपेक्षित आवश्यकता का पालन किया गया है या नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जब वादी ने अपने प्रत्युत्तर में यह स्वीकार कर लिया है कि 31,800 वर्गफुट क्षेत्र में निर्माण करने की अपेक्षा के विरुद्ध, वह वित्तीय कठिनाइयों के कारण संपूर्ण क्षेत्र में निर्माण नहीं कर सका, तथा यह भी कि 11,311/- रुपये की राशि दिनांक 27-07-1998 (प्रदर्श पी–5) को जमा की गई, जबकि पट्टा तो इससे पूर्व 16-07-1998 को ही निरस्त किया जा चुका था—तो ऐसे में वास्तविक प्रश्न यह रह जाता है कि क्या वादी को पट्टा-विलेख की धारा 16 के अनुसार आवश्यक लिखित सूचना विधिवत् प्रदान की गई थी।

14. पट्टा-विलेख की धारा 16 के अनुसार, पट्टादाता पर यह दायित्व है कि वह पट्टाधारी को लिखित सूचना देकर उल्लंघन को दूर करने हेतु छह माह का समय

प्रदान करे। प्रदर्श पी–2 के रूप में दिनांक 05-04-1998 को सूचना जारी की गई, जबकि पट्टा-विलेख का निरस्तीकरण दिनांक 16-07-1998 (प्रदर्श पी–4) को किया गया।प्रतिवादी के साक्षी ब.सा –1 उमेश पांडे, जो महाप्रबंधक हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कहा कि पट्टे की शर्तों के उल्लंघन पर वादी को वर्ष 1983 में एक सूचना जारी की गई थी, और वादी ने 25-06-1983 को छह माह का समय माँगा था। वादी को 05-07-1983 को छह माह का समय प्रदान किया गया, परंतु जब उल्लंघन दूर नहीं किया गया, तब पुनः सूचना दी गई तथा स्थल निरीक्षण भी किया गया। इसके पश्चात वादी को 13-02-1992 को एक अन्य सूचना जारी की गई, और फिर 05-05-1998 को पुनः सूचना दी गई। ब.स –1 उमेश पांडे के कथन में उल्लिखित दिनांक 05-05-1998 की यह सूचना, वाद–पत्र में 05-04-1998 की सूचना के रूप में वर्णित है। मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सूचना वास्तव में 05-05-1998 की है। इस प्रकार ब.सा –1 के कथन से यह सिद्ध होता है कि वादी को पूर्व में कई सूचनाएँ जारी की गई थीं और वादी उल्लंघन को दूर करने में विफल रहा। प्रतिपरीक्षण में वादी की ओर से इस साक्षी को यह सुझाव तक नहीं दिया गया कि वर्ष 1983 या 1992 में कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। न ही यह कहा गया कि साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण में दिए गए इन वर्षों की सूचनाओं संबंधी कथन असत्य हैं। अतः ब.सा –1 के कथन से यह स्थापित होता है कि पहली सूचना वर्ष 1983 में तथा उसके बाद वर्ष 1992 में जारी की गई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

थी और इस प्रकार पट्टा-विलेख की धारा 16 की अपेक्षा का पालन किया गया है। फलस्वरूप, विधिक प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर अपीलकर्ता के विरुद्ध तथा प्रतिवादी के पक्ष में दिया जाता है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों—मुंशी राम एवं अन्य बनाम दिल्ली प्रशासन (AIR 1968 SC 702), उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम महाराजा धरमंदर प्रसाद सिंह (AIR 1989 SC 997), बॉन्दर सिंह एवं अन्य बनाम मिहाल सिंह एवं अन्य (AIR 2003 SC 1905), एम/एस टिम्बर कश्मीर प्रा. लि. बनाम संरक्षक वन, जम्मू (AIR 1977 SC 151), भगवती प्रसाद बनाम चन्द्रमौल (AIR 1966 SC 735) तथा राम स्वरूप गुप्ता (मृत), उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा, बनाम बिशुन नारायण इंटर कॉलेज एवं अन्य (AIR 1987 SC 1242)—का अवलंब करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि पट्टा निरस्त होने के उपरांत भी वादी/अपीलकर्ता से जबरन आधिपत्य नहीं लिया जा सकता। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी/उत्तरदाता के लिए यह आवश्यक है कि वह आधिपत्य प्राप्त करने के लिए विधि-सम्मत उपाय अपनाए, और वादी को बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता।

16. दूसरा महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न इस बात से संबंधित है कि पट्टे के निरस्तीकरण का आदेश जारी करने के लिए प्रबंध निदेशक का अधिकार–क्षेत्र क्या था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पट्टा-विलेख की धारा 16 के अनुसार, यदि पट्टाधारी द्वारा पट्टे की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टा स्वयमेव समाप्त माना जाता है। धारा 16 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उल्लंघन होने पर पट्टा निरस्त माना जाएगा और पट्टादाता को भूमि में पुनः प्रवेश कर उसे अपने आधिपत्य में लेने का अधिकार होगा, मानो पट्टा कभी किया ही न गया हो।

17. इस प्रावधान का प्रभाव यह है कि जब उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, तब पट्टादाता के लिए किसी औपचारिक आदेश का जारी किया जाना आवश्यक नहीं है। तथापि, वर्तमान मामले में चूँकि एक औपचारिक निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया है, इसलिए यह दूसरा महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न उत्पन्न हुआ है। निरस्तीकरण-पत्र (प्रदर्श पी–4) में उल्लेख है कि दिनांक 06-10-1982 को मध्यप्रदेश शासन (अब छत्तीसगढ़ शासन) के विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से भूमि के पट्टों से संबंधित सभी कार्यवाही करने का अधिकार प्रबंध निदेशक को प्रदान किया गया था, और निरस्तीकरण-पत्र उसी प्रदत्त अधिकार के प्रयोग में जारी किया गया है।वादी ने अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया है जिससे निरस्तीकरण-पत्र में किए गए इस कथन का खंडन होता हो। वास्तव में वाद–पत्र में यह तक नहीं कहा गया है कि प्रबंध निदेशक पट्टा निरस्त करने के अधिकारी नहीं थे।बहस के दौरान प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 06-10-1982 की वह अधिसूचना भी अभिलेख पर प्रस्तुत की,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जिसका उल्लेख प्रदर्श पी–4 में है।इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिवादी/उत्तरदाता के प्रबंध निदेशक पट्टा निरस्त करने के लिए सक्षम थे।अतः दूसरा महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न भी अपीलकर्ता के विरुद्ध निर्णयित किया जाता है।

18. फलस्वरूप, यह द्वितीय अपील असफल होती है और इसे निरस्त किया जाता है। व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

19. उपरोक्तानुसार एक डिक्री तैयार की जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /

(प्रशांत कुमार मिश्र)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ……Your name**…………Adv. uday singh bhadoriya**